कार्यालय छात्रवृति
मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
<u>गोरखपुर</u>

सूचना

इस प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के सत्र 2023-24 के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के ऐसे समस्त छात्र/छात्राएं जिन्होने समाज कल्याण विभाग की छात्रवृत्ति हेतु प्रथम चरण तथा द्वितीय चरण में आवेदन किया है को सूचित किया जाता है कि त्रुटिपूर्ण आवेदन को छात्रों के स्तर से ठीक करके आवश्यक संलग्नकों सहित छात्रवृत्ति अनुभाग में जमा करने की तिथि दिनांक 26 अप्रैल 2024 से 03 मई 2024 तक है। आप सभी से अपेक्षा की जाती है कि ससमय अपनी त्रुटि सुधार करते हुए त्रुटि से संबंधित आवश्यक दस्तावेज आवेदन पत्र के साथ आवश्यक रूप से छात्रवृत्ति अनुभाग में दिनांक 03 मई 2024 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उपरोक्त दिनांक के बाद संबंधित अभिलेख अस्वीकार्य होगें।

नोडल अधिकारी
छात्रवृत्ति

पृ0सं0/मा0प्रौ0वि0/छात्रवृत्ति/251/2024 दिनांकः 26 अप्रैल, 2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थः
1. वेबमास्टर को इस आशय से की विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने का कष्ट करें ।

26/04/24

नोडल अधिकारी
छात्रवृत्ति

प्रेषक

जिला समाज कल्याण अधिकारी,
गोरखपुर।

सेवा मे

समस्त प्रबधक / प्राचार्य / प्रधानाचार्य
दशमोत्तर छात्रवृत्ति रो आच्छादित
जनपद- गोरखपुर।

पत्रांक सी०/128/स0क0/छात्रवृति/2024-25 दिनांक 25/4/2024

विषय:- **वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2023-24 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत समय-सारणी मे निहित व्यवस्था के अनुसार अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रों के आवेदन मे सुधार किये जाने के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

विषयाकित सन्दर्भ मे अवगत कराना है कि शासन द्वारा जारी दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत समय-सारणी मे निर्धारित समयावधि (द्वितीय चरण) में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के **छात्र/छात्राओं द्वारा दिनांक 26 अप्रैल 2024 से 03 मई 2024 तक छात्रों द्वारा आवेदन में की गयी त्रुटियो के** सुधार हेतु **पोर्टल** खोला जा रहा है एवं **शिक्षण संस्थान स्तर से** अनुसूचित जाति एवं जनजाति के **छात्र/छात्राओं द्वारा त्रुटियों के सुधार करने के उपरान्त आवेदन को अग्रसारित किये जाने हेतु दिनांक 26 अप्रैल 2024 से 07 मई 2024 की तिथि** निर्धारित की गई है। छात्रों को उनके मोबाईल नंबर पर एवं शिक्षण सस्थान के लॉगिन पर समस्त त्रुटिपूर्ण आवेदन करने वाले छात्रों को डेटा कारण सहित उपलब्ध कराया जायेगा, लौगिन से ऐसे छात्रों का डेटा निकाल कर शिक्षण संस्थान द्वारा सचालित व्हाट्सऐप ग्रुप के माध्यम से अवश्य सूचित कर दे, जिससे छात्रो के द्वारा तत्काल आवेदन पत्र मे सशोधन का कार्य किया जा सकें।

अतः उक्त के क्रम में आप समस्त को अवगत कराना है कि अपने शिक्षण संस्थान में छात्रवृत्ति हेतु आवेदन करने वाले **समस्त अनुसूचित जाति एवं जनजाति के** छात्रों को सूचना उपलब्ध कराये की यदि उनका आवेदन **मार्क्स मिस मैच** होने के कारण **ब्लाक/रिजेक्ट प्रदर्शित** हो रहा है, तो ऐसे छात्र निर्धारित समयान्तर्गत अपने आवेदन पत्र में आनलाईन संशोधन करने के उपरान्त शिक्षण संस्थान में हार्डकॉपी उपलब्ध कराये, जिससे उनका संशोधित आवेदन शिक्षण संस्थान स्तर से तत्काल अग्रसारित किया जा सके। यह ध्यान दे कि किसी भी अपात्र छात्र का डेटा शिक्षण संस्थान स्तर से अग्रसारित न किया जाये।

नोटः- **छात्र द्वारा पूर्व में पूर्ण किये गये आवेदन में संशोधन न करने एवं संस्था द्वारा संशोधित किये गये आवेदन को अग्रसारित न करने की दशा में आवेदन निरस्त माना जायेगा।**

सलग्नक- दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत समय-सारणी।

भवदीय,

(वशिष्ठ नारायण सिंह)
जिला समाज कल्याण अधिकारी,
गोरखपुर।

पृष्ठांकन संख्या तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी महोदय, गोरखपुर।
3. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, गोरखपुर।
4. उप निदेशक, समाज कल्याण, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर।
5. कुल सचिव/अधिष्ठाता छात्र कल्याण, दीन दयाल उपाध्याय, गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर, महायोगी गुरू गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय, गोरखपुर, महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय/संयुक्त निदेशक, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, चरगावां, गोरखपुर/प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, गोरखपुर/जिला विद्यालय निरीक्षक, गोरखपुर को इस आशय से प्रेषित की अपने अधीनस्थ शिक्षण संस्थानों को समय-सारणी में निहित बिन्दुओं का ससमय अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित करें।

जिला समाज कल्याण अधिकारी,
गोरखपुर।